जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-21.07.2025**

थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आल्दी में बुलेट मोटर साईकिल से पटाखा छोड़ने को लेकर हुई मारपीट की घटना में लिप्त 09 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आल्दी में बुलेट मोटर साईकिल से पटाखा छोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसका वीड़ियो सोशल मीड़िया पर वायरल हो रहा था। घटना की सूचना पर थाना कांधला पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों का मेड़िकल परीक्षण कराया गया था। घटना के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आल्दी में बुलेट मोटर साईकिल से पटाखा छोड़ने को लेकर घटना में लिप्त 09 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.नीरज पुत्र सुभाष निवासी ग्राम आल्दी थाना कांधला जनपद शामली।
2.आकाश पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम आल्दी थाना कांधला जनपद शामली।
3.कृष पुत्र अक्षय निवासी ग्राम आल्दी थाना कांधला जनपद शामली।
4.अरविन्द पुत्र मोहल्लड निवासी ग्राम आल्दी थाना कांधला जनपद शामली
5.रकम सिंह पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम आल्दी थाना कांधला जनपद शामली।
6.नरेश पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम आल्दी थाना कांधला जनपद शामली।
7.जितेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम आल्दी थाना कांधला जनपद शामली।
8.शुभम पुत्र नरेश निवासी निवासी ग्राम आल्दी थाना कांधला जनपद शामली।
9.वंश पुत्र नीटू निवासी ग्राम आल्दी थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये दो मोबाईल फोन व अवैध हथियार-कारतूस बरामदः-</u>

ज्ञात हो श्री दयाराम पुत्र चमेला निवासी ग्राम गढ़ी हसनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के घर से 02 चोरो द्वारा मोबाईल फोन आदि चोरी करने के सम्बन्ध में दिनाँक 12.06.2025 को थाना झिंझाना पर तहरीर दी गयी थी। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री दयाराम उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 चोरो को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये दो मोबाईल फोन व अवैध हथियार कारतूस बरामद हुये है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.इस्तकार उर्फ चितली पुत्र नसीर निवासी ग्राम गढ़ी हसनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.इकराम पुत्र इनाम निवासी ग्राम खानपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी किये गये 02 मोबाईल फोन।

2.एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त इस्तकार उर्फ चितली से बरामद)।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 21.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रविन्द्र पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम कंजरहेड़ी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 चाकू।

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त 01 गौ-तस्कर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

ज्ञात हो कि दिनांक 23.04.2025 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में कोतवाली शामली पुलिस को गौकशी की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर आवश्यक कार्यवाही करते हुये घटना में लिप्त व्यक्तियों की पहचान कर अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। उक्त घटना को लेकर आमजनमानस में काफी रोष व्याप्त था। इनके इस कृत्य के कारण लोक-व्यवस्था भंग होने की सम्भावना थी।

दिनांक 23.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम एवं गौतस्करों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त अभियुक्त इसाम उर्फ हिसाम पुत्र शमीम निवासी आजाद चौक, मौहल्ला काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली व दिनांक 28.05.2025 को वांछित 25,000/- रुपये के ईनामी गौ-तस्कर सलमान पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला आजाद चौक काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी।

गौतस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं गौ तस्करी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त मामले में दिनांक 26.05.2025 को गौ-तस्कर इसाम उर्फ हिसाम पुत्र शमीम निवासी आजाद चौक, मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली एवं दिनांक 26.06.2025 को गौ-तस्कर सलमान पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला आजाद चौक काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्ध किया जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.07.2025 को उपरोक्त मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए घटना में लिप्त गौ-तस्कर समीर पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला आजाद चौक काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI